तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्द राजपुरोहित बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार औसियां) सू.अ.अ. अपील संख्या 123/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.08.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्द राजपुरोहित पुत्र मोहनलाल राजपुरोहित निवासी म.नं. 18, द्वितीय बी रोड़, सरदारपुरा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.06.19 में उसके द्वारा (1) मुझ प्रार्थी के द्वारा मिसल बंदोबस्त वर्ष 2011 से 2030 की सत्यप्रति की फोटो प्रति प्रस्तुत की जा रही है जिसमें सम्वत् 2012 में मेरे पिता मोहनसिंह पुत्र शिवनाथसिंह जाति पुरोहित का खातेदार होना स्पष्ट लिखा है परन्तु उसके बावजूद आपके कार्यालय के द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.08.16 में मिसल बन्दोबस्त में सम्वत् 2012 में गै.मु. गौचर की सरकारी किस्म दर्ज होना लिखा है मुझे आपके ऐसे लिखे के मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2012 की सत्यप्रति उपलब्ध कराई जाय जिसमें यह लिखा हो कि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2012 में ग्राम थोब के खसरा सख्या 1488 तहसील औसियां में मेरे पिता मोहनसिंह पुत्र शिवनाथसिंह जाति पुरोहित खातेदार न हो और खसरा संख्या 1466 ग्राम थोब की कृषि भूमि सरकारी भूमि दर्ज हो व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार औसियां) से जरिये पत्रांक 517 दिनांक 29.07.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक भू.अ./2019/रीडर/432 दिनांक 28.06.19 के द्वारा अपीलार्थी के अंकित पते पर भिजवादी गई थी। रिपोर्ट के साथ भेजे गये पत्र की फोटो प्रति भी संलग्न की है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। तहसील कार्यालय से प्राप्त पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी/अपीलार्थी को आदेश की प्रति के साथ प्रेषित भी हो। । आदेश सुनाया गया।	